1.	विभाग–	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
2.	योजना का नाम –	अल्पसंख्यक वर्ग की गरीब पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना
3.	योजना की संक्षिप्त टिप्पणी –	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत आवेदक की आय रू0 46080.00 एवं शहरी क्षेत्र में रू0 56460.00 से अधिक न हो एवं पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष हो, को जाँचोंपरान्त पात्र पाये जाने की स्थिति में रू0 20,000–00 (रूपया बीस हजार मात्र) एक मुश्त दिये जाने का प्राविधान है।
4.	पात्रता की अर्हता –	(a)वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन पाने वाले आवेदकों को आय प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। (b) अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा आन–लाइन निर्गत जाति प्रमाण–पत्र का क्रमांक अंकित करना अनिवार्य होगा। (c) विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। (d) पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला अथवा विकलांग आवेदक को वरीयता प्रदान की जायेगी। (e) एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।
5.	आवेदन की प्रक्रिया –	(a) इस योजना के अन्तर्गत पात्र आवेदकों को समाज कल्याण विभाग वेबासाईट– http://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर लॉगिन करके ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। (b) आवेदक द्वारा अपना आवेदन–पत्र जन–सुविधा केन्द्रों (कामन सर्विस सेन्टर), साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट केन्द्र अथवा विभागीय वेबसाइट पर स्वयं द्वारा भरा जा सकता है। (b) लोकवाणी के माध्यम से स्थापित ''जन–सुविधा केन्द्रों'' के माध्यम से आवेदन पत्र ऑनलाईन भरने की स्थिति में आवेदन को जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम् शुल्क जन–सुविधा केन्द्र प्रभारी को भुगतान करना होगा। (b) शादी हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन पश्चात् तक करना अनिवार्य होगा। (b) लाभार्थी का बैंक खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अधिकृत ऐसे बैंकों में खोला जाएगा, जो '' बैंकिंग सिस्टम'' के अधीन है, जिन्हे आई0एफ0एस0सी0 कोड प्रदत्त है। तथा पी0एफ0एम0एस0 पर पंजीकृत हैं ताकि ई–पेंमेन्ट के माध्यम से उनके खातों में सीधे धनराशि अंतरित की जा सकें।
6.	लिंक वेबसाईट –	http://scholarship.up.nic.in/
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अथवा मण्डल स्तर पर उपनिदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण से सम्पर्क किया जा सकता है।